भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०–100/2018–19

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
27.09.2018	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 8.10.18 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 8.10.18 को उपस्थापित करें । 27.9.18 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
08.10.2018	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक–1046, दिनांक–05.10.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 06.10.2018 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक **श्री रामाय सोय,** पिता– **चन्द्र मोहन सोय,** जाति– **हो (अ०ज०जा०),** ग्राम–रूचाब, थाना–कुचाई, जिला– सरायकेला–खरसावाँ ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। पंजी–**II** जमीन मौजा–**वार्ड नं0–05 चक्रधरपुर,** थाना नं0–**68,** खाता नं०– **149,** प्लॉट नं0– **07,** रकवा:– **12 डि0 750 वर्गकड़ी किस्म भूमि आवासीय,** क्रेता **मादुई गागराई,** पति– **रेंगो गागराई,** जाति– **हो (अ०ज०जा०),** ग्राम–**कोलचकड़ा,** थाना– **चक्रधरपुर,** जिला– **प० सिंहभूम** के पास बिक्री करना चाहते है। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया। जाँच प्रतिदेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक **श्री रामाय सोय,** पति– **चन्द्र मोहन सोय,** जाति– **हो (अ०ज०जा०),** ग्राम–रूचाब, थाना–कुचाई, जिला–सरायकेला–खरसावाँ के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते है। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। बिक्रेता थाना–कुचाई, जिला– सरायकेला–खरसावाँ एवं क्रेता थाना– **चक्रधरपुर,** जिला– **प0 सिंहभूम** के निवासी हैं। विक्रेता का जाति **हो (अ०ज०जा०),** एवं क्रेता का जाति **हो (अ०ज०जा०),** समुदाय के सदस्य है। विक्रेता उक्त वर्णित भूमि उच्च शिक्षा हेतु बेचना चाहते हैं। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता **मादुई गागराई** पति–**रेंगो गागराई,** जाति– **हो (अ०ज०जा०),** ग्राम– **कोलचकड़ा,** थाना– **चक्रधरपुर,** जिला– **प० सिंहभूम** को उक्त भूमि बेचने की **स्वीकृति** छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत दी जाती है। आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें। लेखापित भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर 8.10.18 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर	